ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-4* Issue-12* March- 2020
Anthology : The Research

आधुनिक लोकतंत्र में सूचना का अधिकार–दशा, महत्व उपयोगिता एवं योगदान (रीवा संभाग के संदर्भ में)

सारांश

प्रस्तुत शोध कार्य का प्रमुख उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विश्लेषणात्मक अध्ययन रीवा के विशेष संदर्भ में करने का प्रयास किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक जनता का अधिनियम है प्रत्येक नागरिक इस दैदीप्तमान अधिनियम द्वारा अपने अधिकार संबधी जागरुकता बढ़ाने मे सफल हो सकता है।

गायत्री मिश्रा
सहा.प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान
शा.टी.आर.एस.कालेज,
रीवा म.प्र., भारत

प्रस्तावना

शासकीय या गैर शासकीय कार्यालयों में संधारित तथ्यों की सूचना पाने का मनुष्य को मौलिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार कभी पूर्ण रुप से नहीं पाया। इसी को लेकर लगभग विश्व में सभी जगह रस्सा कसी रही और जहां भी जनता जागरुक रही वहां इस अधिकार को प्राप्त करने में सफलता मिली। सूचना के अधिकार को लेकर विभिन्न देशो में समय समय पर कानून बने। स्वीडन सूचना के अधिकार का कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश है जहां वर्ष 1966 में प्रेस के स्वतंत्रता नामक कानून बनाया गया। अमेरिका जैसे शक्तिशाली एवं विकसित देशो में यह अधिकार 1966 में अस्तित्व में आया। और समय समय पर पड़े दबावों के फलस्वरुप इसमें जनहित के दृष्ट से संशोधन भी किये गये भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना अधिकार का अर्थ पहुँच योग सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है अधिकार अभिप्रेत है। जिसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल है–

1. कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना ।
2. दस्तावेजों या अभिलेखों की परिमाणित प्रतिलिपियां लेना ।
3. सामाग्री के प्रमाणित नमूने लेना ।
4. यदि सूचना कम्प्यूटर या अन्य तकनीकी तरीके से रखी गई हो तो डिस्क, फ्लापी, टेप, विडियों कैसेट या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम या प्रिंट आउट के रुप में सूचना प्राप्त करना आदि।

सूचना अधिकार के माध्यम से कार्यालयों या शासकीय संस्थाओं के प्राधिकारियों तथा न्यायालयों में पारदर्शिता लाने साथ ही प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व को बढ़ाना या जबावदेही बनाना है। यह अधिनियम 21वीं सदी का प्रारंभ का भारतीय नागरिकों को एक अमूल्य धरोहर या उपहार स्वरुप प्राप्त होकर ऐसे अधिकार प्लान करता है जिसे संक्षेप में स्वतंत्र या पारदर्शिता का अधिकार भी कहते हैं।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बन जाने से समूचे रीवा संभाग या संपूर्ण क्षेत्र में जन चेतना व जनजागृति अवश्य उत्पन्न हुई है तथा शासकीय व निकायों के कार्यप्राणाली की व्यवस्था को सुधारने में आम नागरिको के लिये नीव का पत्थर सिद्ध होगा।

रीवा संभाग के अंतर्गत कमिश्नर कार्यालय का अध्ययन किया गया तो सूचना के अधिकार के तहत पाया गया कि–

1. 12.10.2005 से 31.12.2005 तक कुल 4 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।
2. 01.01.2006 से 31.12.2006 तक कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए।

3. 01.01.2007 से 31.12.2007 तक कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए।
4. 01.01.2008 से 31.12.2008 तक कुल 60 आवेदन प्राप्त हुए।
5. 01.01.2009 से 31.12.2009 तक कुल 89 आवेदन प्राप्त हुए।
6. 01.01.2010 से 31.12.2010 तक कुल 141 आवेदन प्राप्त हुए।
7. 01.01.2011 से 31.12.2011 तक कुल 185 आवेदन प्राप्त हुए।
8. 01.01.2012 से 12.12.2012 तक कुल 190 आवेदन प्राप्त हुए।
9. 01.01.2013 से 17.05.2013 तक कुल 104 आवेदन प्राप्त हुए।

पत्र संभागीय मुख्यालय रीवा में किया गया।

इस तरह अभी तक 873 आवेदन पत्र संभागीय मुख्यालय रीवा में प्राप्त हुए। जिनमें से 614 आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया। शेष आवेदको को सूचित किया गया कि वे जानकारी लेने नहीं आये। और इसी में कुछ ऐसा आवेदन पत्र थे जिनका जबाव नहीं मिल पाया।

इस तरह सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से भारतीय समाज में सुशासन व लोकतंत्र स्थापित हो सका। शेष 215 आवेदन पत्रों के आवेदको को सूचित किया गया जो कि जानकारी नही लेने आये और इसी में से कुछ आवेदन पत्र थे जिनका जबाव नही मिल पाया।

इस तरह सूचना अधिकार 2005 से भारतीय समाज में स्वशासन व लोकतंत्र स्थापित हो सकेगा।

आधुनिक लोकतंत्र में सूचना अधिकार का महत्व, उपयोगिता और योगदान

आधुनिक लोकतंत्रो में सूचना के अधिकार का महत्व एवं उसकी उपयोगिता दिनो दिन बढ़ती जा रही है। यह एक नवीन अधिकार आम जनता के लिये पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये एक सकारात्मक पहलू हैं। अब समय आ गया है कि भारतीय लोकतंत्र भारत के आम नागरिको के लिये आवश्यक हो गया है। जब वे अपने को सुनिश्चित बनाये और अपने को जागरुक रखे। भारत सरकार की दिशा में यह एक प्रबल आवश्कता है कि वह अपने अभिलेखों तथा ऑकड़ो को बोधगम्य तथा सार्थक सूचना में रुपांतरित करने के लिये अपनी प्रक्रियाओं को पुनः निकर्मत करें और शिविल समाज और मीडिया दोनों को ही इस प्रकार संग्रहित करें तथा सूचना का प्रयोग अपने हाथों में प्राप्त एक सशक्त हथियार के रुप में इस प्रकार करना होगा की जवाबदारी तथा खराब अभियान विरुद्ध एक शक्तिशाली संघर्ष सुनिश्चित किया जा सकता है।

लोकतंत्र की गोपनीयता एवं जवाबदारी दोनों एक साथ नही चल सकता। इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि उत्तरदायित्व वाली सरकार में गुप्त बातें होनी आवश्यक हैं, परंतु बहुत कम आम जनता के ये सभी प्रतिनिधि अपने आचरण के लिये उत्तरदायी होते है। प्रत्येक आम नागरिक को यह जानने का अधिकार होता है कि प्रत्येक सार्वजनिक सेवक प्रतिनिधि कार्यो को इस प्रकार करता है। उसको यह भी जानने का अधिकार है कि सरकारी अधिकारी द्वारा उनके लिये प्रत्येक बात को किस प्रकार किया जाता है। सरकारी अधिकारियों को इस बात पर बल देकर अपने प्रतिनिधि चरित्र के सबंध में निरंतर स्मरण करते रहने की आवश्यकता होती है कि उन्हे प्रत्येक सुसंगत समय पर अपनी क्रियाशीलता के सही पक्षो की सूचना देते रहने की आवश्यता है। किसी को भी अपने मस्तिष्क में यह बात रखने ही होगी की कोई सूचना किसी की निजी संपति नही होती। यदि इसे किसी संपति वाले लक्षणों वाली कोई वस्तु के रुप में स्वीकार कर लिया जाता है तो भी इस संपति का परम स्वामी राष्ट्र ही होगा।

अब वह दिन दूर नही है कि जब भारत के लोग देश की गरीब जनता सूचना के अधिकार अधिनियम का महत्व को अनुभव करेंगे। समय की छोटी अवधि में ही जनता ने इसकी वास्तविकता अंतः शक्तियो को अनुभव प्रारंभ कर दिया है और समय के आगे बढ़ाने के साथ साथ इस लाभकारी परिणामों पर से पर्दा उठने वाला है। एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने सही कहा है कि कोई देश आत्म निर्भर और स्वतंत्र दोनों एक साथ नही रह सकता है ऐसा न तो कभी था न कभी होगा।

सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक ऐसा संस्थापन है जो समाज में आचार व्यवहार की शक्ति निष्ठा को और सार्वजनिक आदर्शो के संपादन को निरापद बनाता है। भावी समाज जो आगे आने वाला है वह सूचना प्रोद्योगिकी, बायोटेक तथा नैनोटेक्नालॉजी की वजह ठेका के आधार पर विकसित होगा और उस समाज के साथ कोई सा दृश्य शेष नही रहेगा जिसमें आज हम रह रहें है।

इसमें कोई संदेह नही कि केवल वही व्यक्ति जो सूचना से भली प्रकार सज्जित होगा, इस 21वी शताब्दी के समाज में सम्मान पाने की स्थिति में हो पायेगा। निःसदेह ज्ञान का होना अधिकार सम्पन्नता का साधन है और वह बहुत उच्च सूचना की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार मूलभूत प्रश्न तो यही है कि सूचना के कानून को अधिक परिणामवादी और सौदेश्य बनाये जाये। इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित भी करना होगा कि इसका दुरपयोग न किया जाय और विशेष रुप से सरोकार तथा प्रसासन की उदासीनता के कारण अन्य अनेक

कानूनों की ही तरह यह भी एक निर्जीव संबन्ध बनकर न रह जाये।

इस सूचना के अधिकार 2005 में भी किसी दूसरे कानून की ही इस कुछ कमियां विद्यमान है आधुनिक लोकतंत्र के लिये ठीक ठीक एक ऐसा कानून की आवश्यकता है जो दूसरे सूचना के स्वतः अपने आप वितरण की व्यवस्था करता हैं। यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि सूचना का अधिकार नियम 2005 में निजी संस्थाओं में किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष दायित्व नही डालता है और इस सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध तथा कथित आजादी तक सीमित कर दिया गया है। वह भी अनेक बिल्कुल खुले अपवादी के साथ परंतु फिर भी उन कार्यों के होते हुए भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में निशचित रुप से ऐसे अनेक सकारात्मक और उपयोगी प्रावधान है जिन्हे सामान रुप से लोगो को व्यापक रुप से समानता और व्याख्यायित करना होगा ताकि कि वे मांगी गई व प्राप्त की गई सूचना के माध्यम से स्वयं को सशक्त बना सके।

यह बताने की आवश्यकता नही है कि सूचना के अधिकार के बिना वाणी के आजादी के रुप में अधिकारपूर्ण अभिव्यक्ति को एक अधिकार के रुप मे प्राप्त करना कभी भी संभव नही होगा। किसी अन्य समाज में जीवन के गुणवत्ता तथा स्तर अभिशासन एवं उससे संबंधित अन्य पहलुओं के संबंध में सूचना के आदान प्रदान के गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कोई भी लोकतंत्र एक नागरिक सुदृण प्रवृति के साथ समाझौता नही कर सकता कि सरकार केवल गोपनीयता तथा मानव अधिकारों के आधार पर चलाई जा सकती है। ऐसा सोचना एक कोरा सपना माना है।

कोई लोकतांत्रिक सरकार तब तक जीवित नही रह सकती जब तक इसे जबाव देह नही बनाया जाता है। इसको प्राप्त किया जाना तभी संभव होता है जब उसके नागरिक सरकार के कार्य संचालन के सबंध में सूचना रखते है। आधुनिक लोकतंत्र को वास्तिविक रुप से प्रभावी और सहभागी लोकतंत्र बनाने के लिये एक निश्चित प्रयास किया जाना आवश्यक है।

आधुनिक लोकतंत्र सूचना का अधिकार अत्यंत उपयोगी कारगर एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होगा यह अधिकार भारत के आम जनता एवं नागरिकों का मौलिक अधिकार है। जनता प्रधिकारी के पास संबंधित विभाग एवं कार्यालय में अपने लम्बित राशन कार्ड, विद्युत संयोजन, जल संयोजन आज से संबंधित प्रार्थना पत्रों अथवा शिकायतो के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। आम जनता बिना किसी प्रकार की रिशवत या घूस दिये अपनी शिकायत के शीघ्र निराकरण करने के लिये उन्हे बाहर कर सकते है। जनता सूचना के अधिकार के तहत एक प्रार्थना पत्र देकर अपने लिये आवश्यक एवं वांछित जानकारी हासिल कर सकते है। साथ ही वांछित जानकारी उपलब्ध करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ उच्च अधिकारी से शिकायत की मांग भी कर सकते है। प्लांटी आरोपण व अनुशासनात्मक व कार्यवाही के भी प्रावधान है।

सूचना का अधिकार आधुनिक लोकतंत्र के लिये आक्सीजन है। सभी प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेशों में सभी महिला एवं पुरुषों को सामूहिक चिंतन की प्रक्रिया से जोड़ने का अधिकार मिलेगा इससे पुनर्तित होकर नवीन भावों का अनिवार्य विकास भी किया जाय और प्रचलित जड़त्व को हिला देने के लिये अधिक सकारात्मक साधनों को अनिवार्य रुप से अपनाया जाना चाहिए। प्रत्येक आम नागरिक आम जनता को अपने अभिमत तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।

आधुनिक लोकतंत्र में इस अधिकार का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, साथ ही इसकी उपयोगिता आम नागरिकों के लिये रामबाण के समान कार्य में सिद्ध होगी तथा आधुनिक लोकतंत्र को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान एवं भूमिका का निर्वाहन करेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इतना प्रभावशाली हो चुका है कि जिसके माध्यम से सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों व संस्थानों में हो रहे जन उपयोगी कृत्यों की पारर्दशिता में वृद्धि हो रही है तभी तो अभी हाल में जून 2013 के प्रथम सप्ताह में केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली भारत की समग्र राजनैतिक पार्टियों को जवाव देह बानने के लिये उनको भी सूचना अधिनियम के दायरे में खड़ा करने का ऐतिहासिक फैसला किया है जो आम जनता के लिये उपयोगी है। क्योकि यह कानून समाज के दर्पण रुपी उपकरण या प्रहरी बन चुके है। तभी तो रीवा परिक्षेत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का स्वतंत्र परियोजन करके एक व्यक्ति इन्जीनियर आनंद मिश्रा प्रान्तीय महामंत्री अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन में बाण सागर बहुउद्देशीय जीवन दायिनी परियोजना रीवा म.प्र. में व्याप्त आर्थिक अनियमितताओं के 22 अरब के भ्रष्टाचार के आम जनता के समक्ष खुलासा किया है जिसमें करीब 500 लोग क्रिमिनल अरोपी के रुप में चपरासी से लेकर आई.ए.एस. आफिसर श्री अरविंद जोशी व श्रीमती टीनू जोशी भी शामिल है। मामला माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार सक्षम न्यायलय रीवा में प्रचलन में है। ठीक उसी प्रकार 16 करोड़ भ्रष्टाचार का मामला अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का सामने आया है जिसमें करीब 25 लोग अधिकारी/कर्मचारी क्रिमिनल आरोपी है। एक अत्यंत गंभीर मामला भी प्रकाश में आया है कि जिसमें रीवा जिले के अनेक मजिस्ट्रेट व न्यायाधीश लोक अरोपियों के प्रयोजित लोकमंच भोज पार्टी में शामिल होकर

आपसी हितबद्धता के साथ एक दूसरे को लाभान्वित करने के लिये कदाचार की नियत से सरेआम उपहार व स्वागत सत्कार लिये। तदोपरांत यह मामला माननीय उच्च न्यायलय में विचाराधीन लम्बित है। इसी प्रकार और बहुत से मामले है जिसके निष्कर्षतः यह कहना अतिश्योक्ति नही होगी कि सूचना का अधिकार 2005 जनता के लिये अधिक कारगर उपकरण बन चुका है और इसने समाज में प्रहरीनुमा ऐसा स्थान बना लिया है जैसे किसी राष्ट्र की सेना अपने बार्डर की रक्षा में डटी रहती है।

सूचना का अधिकार नागरिकों के हाथों में एक शसक्त हथियार है अगर कार्यपालिका के पास शासकीय गोपनीयता कानून है तो विधायिका के पास संसदीय विशेषाधिकार है न्यायापालिका के पास न्यायालय की अवमानना संबंधी कानून है तो नागरिकों के पास अचूक हथियार आ चुका है। यदि इसका विवेकपूर्ण तथा कुशलता के साथ साथ उपयोग किया जाय तो इससे न केवल देश की व्यवस्था मे सकारात्क बदलाव आयेगा, बल्कि यह लोकतंत्र के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा।

संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ. नीरज कुमार, प्रकाशक डी.सी. पुलिनी भारत ला हाउस नई दिल्ली वर्ष 2008 (सूचना का अधिकार वर्ष 2005)
2. डॉ. वंशीलाल बघेल, प्रकाशक सतीश खेत्रपाल, इंडिया पब्लिक कंपनी रायपुर द्वितीय संस्करण 2008 (सूचना का अधिकार वर्ष 2005)
3. श्री विजय जी बागीया लेखक वर्ष 2008 (सूचना का अधिकार वर्ष 2005) प्रकाशक सुचिधा ला हाउस प्राईवेट लि. भोपाल
4. एलिया ला एजेंसी इलाहाबाद व लखनऊ उ.प्र. 2005 से 2009 तक (सूचना का अधिकार वर्ष 2005)
5. इंजीनियर आनंद मिश्रा रीवा 2006 से 2012 तक पद्य रचनाए।
6. श्री राधेश्याम द्विवेदी 2005(सूचना का अधिकार वर्ष 2005)
7. राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार परिषद का प्रतिवेदन संस्करण 2005 (सूचना का अधिकार वर्ष 2005)
8. प्रतियोगिता दर्पण माह नवम्बर 2012